

## प्रेस नोट

थाना जमानिया जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2020 को 03 सराहनीय कार्य करते हुए कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलहा, 25 किलो प्रतिबन्धित मांस व 03 अदद राशि गाय बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई।

### **प्रथम-चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलहा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जमानिया पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2020 को व0उ0नि0 मंशा राम द्वारा मय हमराहीयान फुफुवांव चट्टी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 01 बाइक सवार 02 युवको को रोक कर वाहन का कागजात मांगा गया तो वो दोनो भागने का प्रयास करने लगे जिस पर पुलिस टीम को शक होने पर उन्हें पकड़ लिया गया तथा जामा तलाशी लिया गया तो 01 अभियुक्त के पास से असलहा भी बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है जो थाना दिलदार नगर से चुरायी गयी थी। तस्दीक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन के सम्बन्ध में थाना दिलदारनगर पर मु0अ0सं0 198/2020 पंजीकृत है। इसके सम्बन्ध में थाना जमानिया पर मु0अ0सं0 261/2020 धारा 41/411 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. आनंद गुप्ता पुत्र दिलीप गुप्ता नि0-दिलदारनगर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष।
2. रामकुमार वर्मा पुत्र मनोज वर्मा नि0-सुहांव थाना नरही जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल UP65 BR 9435
2. 01 अदद अवैध असलहा .315 बोर

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह थाना जमानिया
2. व0उ0नि0 मंशाराम गुप्ता थाना जमानिया
3. उ0नि0 संतोष कुमार थाना जमानिया
4. कां0 प्रदीप कुमार थाना जमानिया
5. कां0 विनोद सोनकर थाना जमानिया

### **द्वितीय- 03 गो तस्कर तस्करी हेतु ले जा रहे जानवर के साथ गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जमानिया पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2020 को उ0नि0 राजीव कुमार त्रिपाठी मय हमराह देख भाल क्षेत्र में मामूर थे कि नरसिंह पुर पुलिया से 03 गो तस्करों को तस्करी करने ले जा रहे 03 अदद राशि गायों के साथ गिरफ्तार किया गया। गो तस्कर इन्हे मैजिक वाहन में भरकर बिहार राज्य ले जा रहे थे। इसके सम्बन्ध में थाना जमानिया पर मु0अ0सं0 260/2020 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. अमरजीत पासवान पुत्र राम प्रकाश पासवान निवासी बड़की नौदर थाना करण्डा गाजीपुर
2. झमन पासवान पुत्र अदाल पासवान निवासी बड़की नौदर थाना करण्डा गाजीपुर
3. नितिश यादव पुत्र नंद यादव निवासी जोरार थाना रामगढ़ भभुआ (बिहार)

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह थाना जमानिया
2. उ०नि० राजीव कुमार त्रिपाठी थाना जमानिया
3. का० विवेक पाण्डेय थाना जमानिया
4. कां० मिथिलेश कुमार थाना जमानिया

## तृतीय:- प्रतिबंधित मांस के साथ जा रहे 03 मांस तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जमानिया पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2020 को उ०नि० सेनापति सिंह मय हमराहीयान भ्रमणशील थे कि ढेवढी जाने वाले रोड पर 03 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में कुछ सामान लेकर जाते हुए दिखाई दिए जिन्हें रोककर पूछताछ किया गया तथा सामान चेक किया गया तो लगभग 25 किलो प्रतिबंधित मांस मिला। 03 अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि यह प्रतिबंधित मांस है और हम लोग इसे बेचने ले जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में थाना जमानिया पर मु०अ०सं० 262/2020 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1-मुख्तार अली पुत्र वकील राजन निवासी ग्राम बडौरा थाना रामगढ़ भभुआ बिहार
- 2- इम्तियाज पुत्र मुन्ना नाई ग्राम बडौरा थाना रामगढ़ भभुआ बिहार
- 3-मुन्ना नाई पुत्र सत्तार निवासीगण ग्राम बडौरा थाना रामगढ़ भभुआ बिहार

## बरामदगी का विवरण-

25 किलो प्रतिबंधित मांस।

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह थाना जमानिया
- 2- उ०नि० राजीव कुमार त्रिपाठी
- 3-उ०नि० सेनापति सिंह
- 4-का० धीरेन्द्र यादव
- 5-कां० फुजैल
- 6-कां० नवीन यादव